

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा**

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :- 224/2022

अनवान मुकदमा -

1. विजयपाल पुत्र कनीराम जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. संजय कुमार पुत्र विजयपाल जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. विनोद कुमार पुत्र कनीराम जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. संदीप कुमार पुत्र विनोद कुमार जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. विकास खिलेरी पुत्र विनोद कुमार जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. महावीर पुत्र कनीराम जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. राधेश्याम खिलेरी पुत्र महावीर खिलेरी जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. सचिन कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. कनीराम पुत्र मामराज जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. कलावती पुत्री कनीराम पत्नी आत्माराम जाति बिश्नोई साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. रजनी पुत्री विजयपाल पत्नी रविन कुमार जाति बिश्नोई साकिन मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रतिवादीगण

**-:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा ::-****-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-**

1. श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता --- वादीगण
2. श्री विनोद बिश्नोई अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 3

**-:: निर्णय :-**

दिनांक - 01/06/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में है। जहां तक दावा हाजा का सम्बंध है सजरा खानदान पेश किया गया है।

प्रतिवादी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 3/312 (8) किला नं. 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15 ता 25, प.नं. 4/312 (9) किला नं. 9/1,

01.06.2022  
सहायक कलक्टर एय  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

9/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 18 ता 23, प.नं. 6/311 (4) किला नं. 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16 ता 18, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21 ता 25 की कुल 9.297 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलगन वाद पत्र की गई है।

वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि प्रतिवादी सं.1 को अपने पिता मामराज पुत्र सहीराम से प्राप्त हुई है जो वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है। जिसमें प्रतिवादी सं.2 ने अपना तमाम हक व हिस्सा वादीगण सं. 1 व 2 के पक्ष में छोड़ दिया है वह इस भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है। वादीगण को घरू बंटवारा में निम्नानुसार कृषि भूमि प्राप्त हुई है -

क. वादी सं.1 विजयपाल को प्राप्त भूमि -

चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 4/312 (9) किला नं. 9/1, 9/2, 10/1/124 (किला नं. 9 के चिपते), 11/1.134 (किला नं. 12 के चिपते), 12, 18, 19, 20/1.134 (किला नं. 19 के चिपते), 21/1.134 (किला नं. 22 के चिपते), 22, 23 की 2.044 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।

ख. वादी सं.2 संजय कुमार को प्राप्त भूमि -

चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 6/311 (4) किला नं. 18/023 (किला नं. 19 के चिपते), 19/1, 19/2, 20/1/203, 20/2/025, 21, 22, 23/020 (किला नं. 22 के चिपते) की 1.030 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।

ग. वादी सं.3 विनोद कुमार को प्राप्त भूमि -

चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 6/311 (4) किला नं. 13/1/152, 13/2/025, 14/1/130 (किला नं. 13 के चिपते), 17/1.155 (किला नं. 18 के चिपते), 18/1.230 (किला नं. 17 के चिपते), 23/1.208 (किला नं. 24 के चिपते), 24/1.1294 (किला नं. 23 के चिपते) की 1.0294 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।

घ. वादी सं. 4, 5 संदीप कुमार - विकास खिलेरी को ब.हि.ब. प्राप्त भूमि -

चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 4/312 (9) किला नं. 10/1/091, 11/1.119, 20/1.119, 21/1.119 की 0.448 हैक. (प्रत्येक किला में विजयपाल के चिपते), प.नं. 3/312 (8) किला नं. 6/1/089, 6/2/025, 7/1/013, 7/2/012, 14/1/1926 (किला नं. 15 के चिपते हुए), 15 ता 17, 24, 25 की 1.5966 हैक. इस प्रकार कुल 2.0446 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।

ङ. वादी सं. 6 महावीर को प्राप्त भूमि -

चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 6/311 (4) किला नं. 14/098 (किला नं. 15 के चिपते), 15, 16, 17/098 (किला नं. 16 के चिपते), 24/0986 (किला नं.25 के चिपते), 25/1.228 की 1.0286 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।

च. वादी सं.7, 8 राधेश्याम खिलेरी - सचिन कुमार को प्राप्त भूमि -

चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 3/312 (8) किला नं. 11/1/038, 11/2/025, 12/1/139, 12/2/025, 13/1/215, 13/2/025, 14/1.0604 (किला नं. 13 के चिपते), 18 ता 23 की 2.0454 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।

01.06.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

छ. वादी सं. 1, 3, 6 विजयपाल, विनोद कुमार, महावीर को ब.हि.ब. प्राप्त भूमि - चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 6/311 (4) किला नं. 231.025, 241.025, 251.025 की 0.075 हैक्. नहरी खातेदारी।

वादीगण अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं परन्तु वादीगण को प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज होने के कारण वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये वादीगण घोषणा प्राप्त करने के हकदार हैं।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

घोषित किया जावे कि प्रतिवादी सं.1 के नाम वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि की वाद पत्र की दफा 4 की उपदफा क से छ अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार हैं।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्ध होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।


मुताबिक एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है।

#### -:: आदेश ::-

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इस सम्बन्ध में विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा पारित नियमों व कानूनी प्रावधानों को ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं -

क. वादी सं.1 विजयपाल -

चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 4/312 (9) किला नं. 9/1, 9/2, 10/11.124 (किला नं. 9 के चिपते), 11/1.134 (किला नं. 12 के चिपते), 12, 18, 19, 20/1.134 (किला नं. 19 के चिपते), 21/1.134 (किला नं. 22 के चिपते), 22, 23 की 2.044 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।

 01.06.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

- ख. वादी सं.2 संजय कुमार -  
चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 6/311 (4) किला नं. 18/023 (किला नं. 19 के चिपते), 19/1, 19/2, 20/1/203, 20/2/025, 21, 22, 23/020 (किला नं. 22 के चिपते) की 1.030 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।
- ग. वादी सं.3 विनोद कुमार -  
चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 6/311 (4) किला नं. 13/1/152, 13/2/025, 14/1/130 (किला नं. 13 के चिपते), 17/155 (किला नं. 18 के चिपते), 18/230 (किला नं. 17 के चिपते), 23/208 (किला नं. 24 के चिपते), 24/1294 (किला नं. 23 के चिपते) की 1.0294 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।
- घ. वादी सं. 4, 5 संदीप कुमार - विकास खिलेरी ब.हि.ब. -  
चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 4/312 (9) किला नं. 10/1/091, 11/119, 20/119, 21/119 की 0.448 हैक्. (प्रत्येक किला में विजयपाल के चिपते), प.नं. 3/312 (8) किला नं. 6/1/089, 6/2/025, 7/1/013, 7/2/012, 14/1/1926 (किला नं. 15 के चिपते हुए), 15 ता 17, 24, 25 की 1.5966 हैक्. इस प्रकार कुल 2.0446 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।
- ङ. वादी सं. 6 महावीर -  
चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 6/311 (4) किला नं. 14/098 (किला नं. 15 के चिपते), 15, 16, 17/098 (किला नं. 16 के चिपते), 24/0986 (किला नं.25 के चिपते), 25/228 की 1.0286 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।
- च. वादी सं.7, 8 राधेश्याम खिलेरी पुत्र महावीर खिलेरी - सचिन कुमार पुत्र महावीर प्रसाद बहिब -  
चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 3/312 (8) किला नं. 11/1/038, 11/2/025, 12/1/139, 12/2/025, 13/1/215, 13/2/025, 14/0604 (किला नं. 13 के चिपते), 18 ता 23 की 2.0454 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।
- छ. वादी सं. 1, 3, 6 विजयपाल, विनोद कुमार, महावीर ब.हि.ब. -  
चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 6/311 (4) किला नं. 23/025, 24/025, 25/025 की 0.075 हैक्. नहरी खातेदारी।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

01.06.2022  
(रणजीत कुमार) उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई  
(आ०-20 रूल 6, 7 जाब्ता दिवानी)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस

मुकदमा संख्या :- 224/2022

अनवान मुकदमा -

1. विजयपाल पुत्र कनीराम जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. संजय कुमार पुत्र विजयपाल जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. विनोद कुमार पुत्र कनीराम जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. संदीप कुमार पुत्र विनोद कुमार जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. विकास खिलेरी पुत्र विनोद कुमार जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. महावीर पुत्र कनीराम जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. राधेश्याम खिलेरी पुत्र महावीर खिलेरी जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. सचिन कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादीगण

बनाम

1. कनीराम पुत्र मामराज जाति बिश्नोई साकिन 2 एसजीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. कलावती पुत्री कनीराम पत्नी आत्माराम जाति बिश्नोई साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. रजनी पुत्री विजयपाल पत्नी रविन कुमार जाति बिश्नोई साकिन मैनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा:-

-:: निर्णय ::-

दिनांक - 01/06/2022

वादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर विनोद बिश्नोई, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं -

क. वादी सं.1 विजयपाल -

चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 4/312 (9) किला नं. 9/1, 9/2, 10/1/124 (किला नं. 9 के चिपते), 11/134 (किला नं. 12 के चिपते), 12,

01.06.2022  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

- 18, 19, 20/134 (किला नं. 19 के चिपते), 21/134 (किला नं. 22 के चिपते), 22, 23 की 2.044 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।
- ख. वादी सं.2 संजय कुमार -  
चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 6/311 (4) किला नं. 18/023 (किला नं. 19 के चिपते), 19/1, 19/2, 20/11.203, 20/21.025, 21, 22, 23/020 (किला नं. 22 के चिपते) की 1.030 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।
- ग. वादी सं.3 विनोद कुमार -  
चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 6/311 (4) किला नं. 13/11.152, 13/21.025, 14/11.130 (किला नं. 13 के चिपते), 17/1.155 (किला नं. 18 के चिपते), 18/1.230 (किला नं. 17 के चिपते), 23/1.208 (किला नं. 24 के चिपते), 24/1.1294 (किला नं. 23 के चिपते) की 1.0294 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।
- घ. वादी सं. 4, 5 संदीप कुमार - विकास खिलेरी ब.हि.ब. -  
चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 4/312 (9) किला नं. 10/11.091, 11/1.119, 20/1.119, 21/1.119 की 0.448 हैक्. (प्रत्येक किला में विजयपाल के चिपते), प.नं. 3/312 (8) किला नं. 6/11.089, 6/21.025, 7/11.013, 7/21.012, 14/11.1926 (किला नं. 15 के चिपते हुए), 15 ता 17, 24, 25 की 1.5966 हैक्. इस प्रकार कुल 2.0446 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।
- ङ. वादी सं. 6 महावीर -  
चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 6/311 (4) किला नं. 14/098 (किला नं. 15 के चिपते), 15, 16, 17/098 (किला नं. 16 के चिपते), 24/0986 (किला नं.25 के चिपते), 25/1.228 की 1.0286 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।
- च. वादी सं.7, 8 राधेश्याम खिलेरी पुत्र महावीर खिलेरी - सचिन कुमार पुत्र महावीर प्रसाद बहिब -  
चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 3/312 (8) किला नं. 11/11.038, 11/21.025, 12/11.139, 12/21.025, 13/11.215, 13/21.025, 14/1.0604 (किला नं. 13 के चिपते), 18 ता 23 की 2.0454 हैक्. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी।
- छ. वादी सं. 1, 3, 6 विजयपाल, विनोद कुमार, महावीर ब.हि.ब. -  
चक 2 एसजीआर के खाता सं. 4/8 के प.नं. 6/311 (4) किला नं. 23/025, 24/025, 25/025 की 0.075 हैक्. नहरी खातेदारी।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अकनं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 01/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01.06.2022  
(रणजीत कुमार) कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा